न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
118/2021	FSS ACT	29.10.2021	11.07.2025

1. श्री विश्वबन्धु गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर

–आवेदक

बनाम

श्री जगन्नाथ (दूध विक्रेता) पुत्र श्री बद्रीप्रसाद बघेल , मैसर्सः जगन्नाथ , चौपडा मन्दिर , धौलपुर , निवासी ग्राम सुन्दरपुर बाग, पोस्ट कासमिपुर , तह0/जिला धौलपुर

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) /51एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय **दिनांक 11.07.2025**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) 51 न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 27.03.2021 को लगभग 11:00 एएम पर दौराने गश्त चौपडा मंन्दिर, धौलपुर पर पहुंचा वहॉ खडी मोटर साईकिल पर उक्त विक्रेता को मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया जिस पर विक्रेता ने अपना नाम जगन्नाथ (दूध विक्रेता) पुत्र श्री बद्रीप्रसाद बघेल , मैसर्सः जगन्नाथ , चौपडा मन्दिर , धौलपुर , निवासी ग्राम सुन्दरपुर बाग, पोस्ट कासमिपुर , तह0/जिला धौलपुर बताया । मौके पर विक्रेता द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होना जाहिर किया तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में मोटर साईकिल पर रखी हुई कैन में लगभग 30 लीटर मिश्रित दूध रखा हुआ था मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर विक्रेता की उपस्थिति में नमूना वास्ते जांच लेने की सूचना फार्म नं0–5 अ की प्रति स्वतन्त्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मिश्रित दूध में से 02 लीटर वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 80/– रूपये नकदी चुका कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है, उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य

Scanned with OKEN Scanner

सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये मिश्रित दूध को 02 लीटर को चार भागों में विभक्त कर साफ एंव सूखी कॉच की बोतलों में भरकर 40–40– बूंदे फार्मिलिन की डालकर ढक्कन लगा कर एयर टाईट बंद किया मैरे द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेट कर अभिहित अधिकारी धौलपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक डी–2099 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपका कर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 06 की प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नम्बर 06 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्र वाहक पदम सिंह परमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक, अलवर को जमा करा कर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई जो कि आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म संख्या 06 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूना का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की प्रति के डी ओ (मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर) को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर के पत्र क्रमांक 196 दिनांक 31.05.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं0एलएस/479/एक्ट/2020/550 दिनांक 054.10.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध सब स्टेण्डर्ड (**SUB-Standerd**) पाया गया है। जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक एफएसएसए/2021/282 दिनांक 27.08.2021 की पालना में श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त ने सब स्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध विक्रय एंव निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान की समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाये।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया।

अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त के अभिभाषक ने जबाब पेश किया ।

Scanned with OKEN Scanner

अपने जबाब में कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति दिनांक 25.07.2011 को श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक 832/29.09.19 के अनुसार कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर आवंटित किया गया है । खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्ति होने के लिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2.1.3 के परन्तुक (खण्ड) 2 व 3 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्ति होने के दिनांक से 2 वर्ष के अन्दर विभाग द्वारा फूड एवं सेंम्पलिंग बावत् विशेषकृत ट्रैनिंग करना अनिवार्य है । श्री विश्वबन्धु गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्ति की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि में कोई विशेषकृत ट्रैनिंग प्राप्त की हो ऐसा कोई रिकार्ड पत्रावली में संलग्न नहीं है । श्री विश्वबन्धु गुप्ता दिनांक 27.03.2021 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी नहीं था तो उनके द्वारा दिनांक 27.03.2021 को की गई Null & Void हो जाती है । इस कारण प्रार्थी के विरूद्ध धारा 26 2 (ii) FSS Act की ड्रॉप किये जाने योग्य है । प्रस्तुत प्रकरण में दूध का मिक्स मिल्क का नमूना लेना बताया है जब नमूना जॉच होके आया तो मिल्क फैट 0.30 प्रतिशत अधिक पाई है तथा एस एन एफ 1.78 कम बताई है लेकिन इस रिपोर्ट में किसी बाहरी वस्तु की मिलावट नहीं बताई है । जहॉ तक सबस्टेण्डर्ड मानक कम आने का प्रश्न है तो मिक्स मिल्क में गाय का दूध ज्यादा मात्रा में हो और भैंस का दूध कम मात्रा में हो तो मानकों में अन्तर आ सकता है । इस कारण भी प्रस्तुत प्रकरण में दण्डित नहीं किया जा सकता । धारा 43 एफएसएस एक्ट की द्वितीय अनुसूची के अनुसासर राजस्थान में कौन–कौन सी लैब ऐकीकेटेड(मान्य) है उनकी सूची दी गई है फूड सैफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड लैबोरेटरी अलवर का नाम इस अनुसूची में नहीं है । अर्थात अलवर की लैव मानक कोटी की लैव नहीं है । इस प्रकार अलवर की लैव की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विश्वास कर प्रार्थी को दण्डित नहीं किया जा सकता है । अतः प्रार्थी का जबाब प्रार्थना पत्र 26 2 (ii) FSS Act 2006 नियम 2011 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खिलाफ की गई कार्यवाही ड्रॉप किये जाने का निवेदन किया है ।

बहस अधिवक्ता अभियुक्त सुनी गई। बहस के दौरान वकील अभियुक्त ने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अभियुक्त गरीब व्यक्ति है एवं पेट पालन करता है अभियुक्त द्वारा उक्त कार्य बहुत ही छोटे स्तर पर किया जाता है। अतः नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण को ड्रॉप फरमाए जाने हेतु निवेदन किया है।

हमारे द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली मे संलग्न **FOOOD SAFETY & STANDERDS LABORATORY** अलवर की **REPORT NO -LS/325/ACT/2021/502 DATE 26-04-2021** का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

"Opinion- The sample of "Mixed Milk" bring Code No- and Serial No- D-2099 of D.O. Dholpur is Sub-Standard food , U/s 3(1) (zx) of FS&S Act,2006. It dose not conform to the prescribed purity standards of Mixed Milk, as per the provisions of FS&S Safety Rugulations 2011. FAT &SNF contents are low.

अभियुक्त द्वारा सब स्टैण्डर्ड (SUB-STANDARED) प्रकृति की खाद्य वस्तु निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। अभियुक्त द्वारा अंकित कथनों के संबंध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य पेश

Scanned with OKEN Scanner

नहीं किया है। अभियुक्त द्वारा की गई बहस व पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत है कि आवेदक द्वारा आवेदक के विरूद्ध की गई कार्यवाही उचित है। अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा [illegible] के तहत की गई अनियमितता के लिए सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अभियुक्त को 500/–(अक्षरे पांच सौ रूपये मात्र) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर में पेश करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि [illegible])
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner